(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–08 / 2026

रजिस्ट्रेशन नं0:– 2026 / 30

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ (सायल)

बनाम

शहीद उम्र 45वर्ष पुत्र सुबराती जाति मुसलमान निवासी जोगी मोहल्ला, छबड़ा जिला बाराँ (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)

2– बावजूद सूचना के अनुपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 25.05.2026

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल शहीद पुत्र सुबराती जाति मुसलमान निवासी जोगी मोहल्ला, छबड़ा जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना छबड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल रेलवे एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम एवं जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना छबड़ा में वर्ष 2002 से वर्ष 2025 में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (04), रेलवे एक्ट (01) एवं भादस(01) के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणों में से कुल 05 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 05 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 09.04.2026 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल को इस न्यायालय से जारी सम्मन क्रमांक / रीडर II / 2026 / 357 दिनांक 06.05.2026 से तलब किया जाकर सूचित किया गया कि प्रकरण मे आगामी नियत पेशी दिनांक 25.05.2026 को इस न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। उक्त सम्मन की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना छबड़ा द्वारा गैरसायल स्वयं को दी जाकर प्रोपर तामील करवाई गई। प्रकरण में गैरसायल को रूक–रूककर तीन बार आवाज दिलवाई गई, उसके अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकपक्षीय बहस सरकार पक्ष अभियोजन अधिकारी की सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना छबड़ा मे वर्ष 2002 से वर्ष 2025 में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (04), रेलवे एक्ट (01) एवं भादस(01) के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणों में से कुल 05 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना छबड़ा में वर्ष 2002 से वर्ष 2025 में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (04), रेलवे एक्ट (01) एवं भादस(01) के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणों में से कुल 05 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि शहीद पुत्र सुबराती जाति मुसलमान निवासी जोगी मोहल्ला, छबड़ा जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 05 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल शहीद पुत्र सुबराती जाति मुसलमान निवासी जोगी मोहल्ला, छबड़ा जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, छबड़ा से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल शहीद पुत्र सुबराती जाति मुसलमान निवासी जोगी मोहल्ला, छबड़ा जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र छबड़ा से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, केशोरायपाटन जिला बूंदी को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 10.06.2026 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना केशोरायपाटन जिला बूंदी को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना छबड़ा क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर थानाधिकारी पुलिस थाना केशोरायपाटन जिला बूंदी के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **25.05.2026** को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ